

संख्या- 1190 / 111(2)/16-44(एम0एल0ए0)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक: 03 मार्च, 2016

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ में विभिन्न 05 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ में संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 05 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 23.50 किमी० तथा लागत ₹ 487.99 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 487.99 लाख (चार करोड़ सत्तासी लाख निम्नयानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए याचू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं०-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति वर्ग ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 05 कार्यों हेतु ₹ 0.50 लाख (पचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दर शीटयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित वशों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय प्रालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोवेंसियल एक्ट्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्मित समस्त विधा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्मित आदेशों का कार्य करते समय या आगणन वित्त करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०सी०, भूमि अधिग्रहण, म्युनिसिपल सिपिटिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखापीरक-0054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-000-अन्य व्यय-05-सड़क/धन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

-2-

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अयमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मध्य में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो नित्यव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संसंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लैखाधीनक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिचय-04 जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अरासकीय संख्या-1162(A)/XXVIII(2)/2015 दि०- 01 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- 1190 (1)/111(2)/16-44(एम०एल०ए०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लैखा प्रथम), ओमराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहशदून।
2. आयुक्त, कुमार्थ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहशदून/पिथौरागढ़।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहशदून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।
9. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से
(एम०एस०प्रोगती)
उप सचिव

शासनादेश सं०- 1190/111(2)/16-44(एम०एस०ए०)/2015 दिनांक 03 मई, 2016 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	कुल स्वीकृत लागत।	बालू वित्तीय वर्ष में अनुमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5
1	सा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1179/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जजुराली से बवसील, सौवधागाडा, आबलाघाट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.00	67.54	0.10
2	सा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2234/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जाग्रर देवल मूलागाड केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	144.40	0.10
3	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ऐचोली बड़ावे मोटर मार्ग के संगठन से देवोलीख (विजयार) तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	10.00	176.50	0.10
4	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चम्पाक चमाली मोटर मार्ग से जगतख तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8.00	88.05	0.10
5	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रई मंड रोडीपाली मोटर मार्ग से ग्राम तिलातख, पापला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.50	11.50	0.10
	योग:-	28.50	487.99	0.50

(कुल ₹ पचास हजार मात्र)

(एम०एस०पी०गती)
उप सचिव